

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक एफ- 4(29)ग्रावि/नरेगा/भाग-2/निरी./2014-15 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2014

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रगतिरत कार्यो
(on going NREGA works) का राज्य के सभी जिलों में दिनांक 28.06.2014 को
सघन निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने बाबत।

संदर्भ :- निरीक्षण संबंधी विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.2009

महोदय,

राज्य स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा नरेगा योजना के 52 कार्यो का निरीक्षण करने पर
मुख्यतः निम्न कमियाँ पाई गई है :-

1. मस्टररोल में दर्ज उपस्थिति की तुलना में मौके पर श्रमिकों की संख्या कम पाई गई।
2. जो श्रमिक उपस्थित थे उन्हें भी पॉच पॉच के समूह में कार्य आवंटन (task assignment) नहीं किये जाने से वे पूरा कार्य नहीं कर रहे थे और इसी कारण उन्हें निर्धारित मजदूरी से लगभग आधी ही मजदूरी मिल रही थी।
3. मौके पर चल रहे कच्चे कार्यो का न तो कोई प्लान, सेक्शन व एलिवेशन पाया गया और न ही सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा मेट को व मेट द्वारा श्रमिको को यह बताया गया कि उन्हें क्या कार्य करना है, और अन्ततः क्या बनाना है।
4. कार्यो की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं पाई गई।

उपरोक्त कारणो से योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष बहुत अधिक धनराशि खर्च होने पर भी स्थाई व उपयोगी परिसम्मितियो का सृजन (creation of useful durable assets) नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सभी को यह प्रयास करना है कि न सिर्फ नरेगा योजनान्तर्गत पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए बल्कि गाँवो के लिए उपयोगी कार्य यथा अच्छे तालाब, चारागाह, खरंजे, टांके आदि विकसित किये जाए। इसके लिए वर्तमान में यह आवश्यक है कि नरेगा कार्यो पर सभी श्रमिक प्रातः 6.00 बजे उपस्थिति हो एवं उन्हें पूरा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे उनको पूरी मजदूरी मिले साथ ही गाँवो का विकास भी हो, यह संदेश मेट व श्रमिक स्तर तक पहुँचाने के लिए दिनांक 28.06.2014 को पूरे राज्य में एक साथ सभी प्रगतिरत कार्यो का निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य नरेगा योजना के ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी (grass root level functionaries) यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सहायक, मेट आदि तथा श्रमिको को भी निम्न बिन्दुओं के प्रति सजग करना है:-

1. सभी श्रमिक 6:00 बजे कार्यस्थल पर उपस्थित हो, कार्यस्थल पर समय पर न आने पर समझाइश की जाए, फिर भी समय पर न आने वाले श्रमिको को अनुपस्थिति दर्ज कर, लौटा दिया जाए।

2. कार्य प्रारम्भ होने पर मेट द्वारा पॉच पॉच के समूह बनाकर, उन्हें ले-आउट देकर नियोजित किया जाए एवं यह बताया जाए कि उन्हें कितना कार्य पूर्ण करना है जिससे उन्हें पूरी मजदूरी (रू. 163/-) मिल सके।
3. कार्य समाप्त होने पर समूह द्वारा किये गये कार्य का माप लेकर मेट द्वारा उन्हें उनके द्वारा किये गये टॉस्क से अर्जित मजदूरी से अवगत कराया जाए और यदि प्रस्तावित भुगतान रूपये 163/- से कम है तो उन्हें शेष बचे टास्क को पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए अर्थात् पूरा कार्य करवाकर पूरी मजदूरी का भुगतान कराया जाए।
4. साथ ही यह भी आवश्यक है कि श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य से गाँव के लिए कोई उपयोगी सम्पत्ति बने।

उपरोक्त संदेश जमीनी स्तर तक ले जाने हेतु दिनांक 28.06.2014 को मनरेगा योजना में प्रगतिरत प्रत्येक कार्य का सघन निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाना है। जिन जिलों में पूर्व में निरीक्षण किया जा चुका है, वहां पर भी दिनांक 28.06.2014 को पुनः सघन निरीक्षण किया जाए। इस हेतु निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए :-

1. जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर) द्वारा न्यूनतम 10-10 निरीक्षण दलों का गठन किया जाये। निरीक्षण दल में एडीपीसी प्रथम/द्वितीय, सभी अभियंतागण, लेखाधिकारी, जिला परिषदों में पदस्थापित अन्य अधिकारी गण (मनरेगा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के अधिकारी) के साथ-साथ एमआईएस मैनेजर, समन्वयक, लेखा कार्मिक आदि भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि लाईन विभागों के अधिकारी भी अपने नरेगा कार्यों को देखेंगे। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में निरीक्षण किये जाने पर यह कार्यक्रम अधिक प्रभावी होगा।
2. इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर भी न्यूनतम 10 निरीक्षण अधिकारी तय किये जाएं जिनमें कार्यक्रम अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर आदि सम्मिलित होंगे।
3. जिला स्तरीय निरीक्षण दल सुबह 5.45 बजे कलेक्ट्रेट/जिला परिषद कार्यालय में एकत्रित होंगे एवं संक्षिप्त ब्रिफिंग के पश्चात निरीक्षण प्रपत्र एवं निरीक्षण किये जाने वाले कार्यों की सूची के साथ विभिन्न पंचायत समितियों में निरीक्षण हेतु प्रस्थान करेंगे। दलों के रवाना होने के पश्चात कुल दलों की संख्या व रवाना होने के समय की सूचना एसएमएस द्वारा आयुक्त नरेगा के मोबाईल नम्बर 9828596446 पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा प्रेषित की जायेगी।
4. इसी प्रकार पंचायत समिति स्तरीय निरीक्षण दल के अधिकारी सुबह 5.45 बजे पंचायत समिति कार्यालय में एकत्रित होंगे एवं संक्षिप्त ब्रिफिंग के पश्चात निरीक्षण प्रपत्रों एवं निरीक्षण किये जाने वाले कार्यों की सूची के साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण हेतु प्रस्थान करेंगे। इसकी सूचना एसएमएस द्वारा आयुक्त नरेगा के मोबाईल नम्बर पर कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा प्रेषित की जायेगी।
5. यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रथम राज्य स्तरीय निरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः नरेगा कार्यस्थल पर जाकर कार्य स्थल प्रबंधन व गुणवत्ता (work site management & quality) में सुधार लाना है न कि कमियां निकालकर कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करना। अतः निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मौके पर चल रही अव्यवस्थाओं को चिन्हित कर, सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाएं।
6. निरीक्षण उपरान्त पंचायत समिति स्तर के सभी अधिकारी दोपहर 1.00 बजे पुनः पंचायत समिति मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। जहाँ प्रत्येक निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1) में प्रस्तुत किया जायेगा। एवं पाई गई स्थिति पर चर्चा की जाकर सुधारात्मक कदम चिन्हित किये जाएंगे एवं दिनांक 28.06.2014 को ही अपेक्षित

सुधारात्मक कार्यवाही एवं लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को नोटिस आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. दिनांक 28.06.2014 को ही प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रारूप में जिला परिषद को अपरान्हन 3.00 बजे से पूर्व ई मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी—

जिला/ पं.सं.	कुल निरीक्षण दलों की संख्या	निरीक्षण किये गये कार्यों की सं०	कार्यों की संख्या जिनमें स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गई	की गई कार्यवाही			
				मेट को प्रथम चेतावनी अथवा हटाए जाने का नोटिस	ग्राम सेवक/ ग्राम रोजगार सहायक को जारी नोटिस की सं०	कनि० अभि० को जारी नोटिस की सं०	अन्य विवरण

8. इसी प्रकार कलेक्ट्रेट/जिला परिषद में जिला स्तरीय निरीक्षण दलों की दोपहर 3.00 बजे बैठक बुलाकर आवश्यक सुधार के निर्देश व नोटिस आदि देने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस द्वारा उपरोक्त प्रारूप में पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं जिला स्तर से करवाये गये निरीक्षणों का संकलन कार्यालय आयुक्त, ईजीएस को ई-मेल nrega.raj@gmail.com पर दिनांक 28.06.2014 को सांय: 6.00 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजा जाए। साथ ही मुख्य कमियों व सुधार हेतु सुझाव भी निम्न प्रारूप में भेजे जाए :-

क्र.स	मुख्य कमियाँ/कठिनाईयाँ	सुधार हेतु सुझाव

9. सहायक अभियन्ता एवं इससे वरिष्ठ अधिकारी के लिये अतिरिक्त वाहन नरेगा योजना के प्रशासनिक मद से किराये पर लिया जा सकता है। शेष कार्मिकों द्वारा स्वयं के वाहन से कार्य का निरीक्षण किया जायेगा, जिसका नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
10. नरेगा के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया जाता रहेगा। इस निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का ही उपयोग किया जाए।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में अपने जिले में दिनांक 28.06.2014 को मनरेगा योजना में प्रगतिरत प्रत्येक कार्य का सघन निरीक्षण व पर्यवेक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए एवं पाई गई कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कदम व दोषियों के विरुद्ध नोटिस आदि की कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से भी अवगत कराना सुनिश्चित कराए।

संलग्न— निरीक्षण प्रपत्र

भवदीय

h

(डा० समित शर्मा)

आई.ए.एस

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान ।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस समस्त राजस्थान ।
3. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान ।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त ।
5. सहायक अभियंता, ईजीएस/कनिष्ठ तकनीकी सहायक, ईजीएस जिला परिषद/पंचायत समिति समस्त ।

l
आयुक्त, ईजीएस

निरीक्षण प्रपत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य निरीक्षण का प्रतिवेदन

सामान्य जानकारी (general Information)

1. कार्य का नाम निरीक्षण दिनांक.....
2. ग्राम.....ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति.....जिला.....
3. कनिष्ठ अभियंता का नाम कार्यरत मेट का नाम.....
4. निरीक्षणकर्ता का नामपद नाम.....
.....

1. श्रमिक उपस्थिति का विवरण (Attendance details)

- i. श्रमिकों की संख्या जिनके लिए मस्टररोल जारी किये गये है
- ii. उपस्थिति दर्ज किये श्रमिकों की संख्या
- iii. निरीक्षण के समय उपस्थित श्रमिकों की संख्या
- iv. निरीक्षण दिवस से पूर्व के तीन दिवसों में उपस्थित श्रमिकों की औसत संख्या
- v. क्या वे सभी श्रमिक उपस्थित है जिनकी उपस्थिति दर्ज की गई है।
- vi. क्या उपस्थित श्रमिकों की संख्या निरीक्षण से पूर्व के तीन दिवसों की औसत श्रमिक संख्या के लगभग समान है ?

2. कार्यस्थल पर समूहवार काम का वितरण (Daily Task Assignment in groups)

- i. श्रमिकों का 5-5 के समूहों में नियोजन।
- ii. समूहवार नाप कर निशान लगाकर कार्य आवंटित किया गया है।
- iii. क्या श्रमिकों द्वारा निर्धारित टास्क के अनुसार मौके पर कार्य सम्पादन किया जा रहा है?
- iv. क्या मस्टररोल के पीछे दैनिक टास्क का प्रति दिन सही नाप मेट द्वारा अंकित किया जा रहा है
- v. क्या कार्य समाप्त होने पर कार्य के नाप के आधार पर मेट द्वारा मजदूरों को प्रतिदिन अर्जित मजदूरी से अवगत कराया जाता है?

3. स्थाई व उपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन (Creation of useful durable assets)

- i. क्या कार्य स्थल पुस्तिका व मानचित्र, एलीवेशन, सैक्शन आदि उपलब्ध है?
- ii. क्या मौके पर संपादित कार्य नक्शे के अनुसार व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।
- iii. क्या कार्य से स्थाई एवं जनउपयोगी सम्पत्ति का सृजन हो रहा है

4. कार्यस्थल स्थल पर सुविधाएं (Work site facilities)

- i. कार्य विवरण डिस्पले बोर्ड हां/नहीं
- ii. आवश्यक दवाईयां हां/नहीं
- iii. पेयजल उपलब्धता हां/नहीं
- iv. छाया की व्यवस्था हां/नहीं

5. मजदूरी भुगतान (Timely and differential wage payment)

- i. क्या मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से 15 दिन में हो रहा है? हां/नहीं
- ii. क्या मजदूरी का भुगतान ग्रुप टास्क के आधार पर अलग-अलग किया जा रहा है ? हां/नहीं
- iii. गत पखवाड़े इसी कार्य पर प्रतिदिन औसत मजदूरी कितनी आई है?

कार्य की ग्रेडिंग

निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रत्येक हॉ के लिए 1 अंक दिया जाए। इस प्रकार अधिकतम कुल 16 अंको में से उपरोक्त कार्य के लिए निम्नानुसार श्रेणी दी जाए :-

प्राप्त अंक	श्रेणी (Grade)	अपेक्षित कार्यवाही
12 या इससे अधिक	संतोषजनक (Satisfactory)	प्रशंसा एवं प्रोत्साहन
8-11	सुधार की आवश्यकता (Requires improvement)	सुधार हेतु निर्देश
7 या इससे कम	असंतोषजनक (Un satisfactory)	कारण बताओ नोटिस

कुल प्राप्त अंक

श्रेणी

कार्य में सुधार लाने हेतु सुझाव :-

क्र.स	मुख्य कमियाँ	सुधार हेतु सुझाव
1		
2		
3		

हस्ताक्षर